Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

# सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा

साक्षी मिश्रा
शोधछात्रा,
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश,भारत।
प्रो.संजय श्रीवास्तव
शोध–निर्देशक

**Article Info**
Volume 3, Issue 6
Page Number: 87-90
Publication Issue :
November-December-2020

**Article History**
Accepted : 10 Dec 2020
Published : 24 Dec 2020

**सारांश–** भारत के सन्दर्भ में बात करें तो सिन्धु काल में मिले प्रमाण मातृप्रधान समाज की ओर इंगित करते हैं, वहीं ऋग्वैदिक काल भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सल्तनत कालीन समाज की स्त्रियों की पोशाक आज की तरह नहीं थी। वह सामान्यतया साड़ी तथा इसके साथ पहने जाने वाली अंगिया का प्रयोग करती थी। मुसलमान स्त्रियों में सलवार चूड़ीदार, कमीज व सिर ढकने के लिए चादर व दुपट्टे का प्रयोग किया जाता था। सिर से पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग को सुसज्जित करना हिंदुओं की स्त्रियों की एक सामान्य परंपरा थी। इस प्रकार सल्तनत काल में महिलाओं की दशा को समझा जा सकता है।

**मुख्यशब्द –** सल्तनत काल, स्त्रिय इतिहास, वेद, वस्त्र, आभूषण, जौहर प्रथा, सती प्रथा, विवाह।

इतिहास में उतर कर देखें तो महिलाओं की भूमिका इतिहास में निरंतर परिवर्तनशील रही है। कभी उनकी स्थिति बेहतर रही तो कभी इसमें गिरावट आती दिखायी पड़ी है। भारत के सन्दर्भ में बात करें तो सिन्धु काल में मिले प्रमाण मातृप्रधान समाज की ओर इंगित करते हैं, वहीं ऋग्वैदिक काल भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कालांतर में उनकी स्थिति में गिरावट आयी गयी और समाज पितृसत्तात्मक होता चला गया। महिलाओं के अधिकारों में कमी आयी और उनकी स्थिति समाज मे निरंतर कमजोर होती गयी। ऋग्वैदिक काल में उनको वेदों का अध्ययन अर्थात सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उन्हें परिवार के सभी कार्यों और भूमिकाओं में पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त थे। वेदों में सूर्या, अपाला, विश्वम्भरा, घोषा, लोपामुद्रा आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की प्रतिष्ठा बनी रही साथ ही शासन व्यवस्था, सेना, राजव्यवस्था आदि में योगदान के प्रमाण मिलते हैं। मनु ने भी लिखा है– जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है उस कुल में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं।

गुप्तोत्तर काल को भारत में मध्यकाल का आरम्भ माना जाता है और जिस समय भारत में तुर्क आक्रमण हुआ, स्त्रियों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। उन्हें शिक्षा के अधिकार नहीं थे, अल्पायु में उनका विवाह कर दिया जाता था, सम्पत्ति में उनको अधिकार नहीं था, न ही सम्भ्रांत परिवारों में उनको घर से निकलने की अनुमति होती थी। डॉ. अशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है

**Copyright: ©** the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

कि 'सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा काफी बुरी हो गयी थी। उनपर अनेक पाबंदियां लगा दी गयीं थीं। ऐसा मुख्यत: आक्रमणों तथा इस्लाम धर्म के प्रवेश के कारण हुआ। सल्तनत काल में सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। कामपिपासु तुर्क आक्रमणकारियों ने स्त्रियों को एक मनोरंजन के साधन के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। कठोर पर्दा प्रथा के कारण सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का अलगाव होता रहा। अपवादस्वरूप रजिया सुल्तान का उदाहरण लिया जा सकता है। उसने पर्दा प्रथा का बहिष्कार किया।'[1] किन्तु इससे पर्दा प्रथा को खासा आघात नहीं पहुंचा। हालाँकि अशीर्वादीलाल श्रीवास्तव से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि पर्दा प्रथा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पहले से विद्यमान थी। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस बात को मानने से इनकार करते हैं परंतु इस बात ,को नकारा नहीं जा सकता है। इस्लाम धर्म के प्रवेश से पूर्व ही हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। सिर्फ दोनों धर्मों में पहनावे का अंतर था। हिंदू धर्म में घूंघट के रूप में महिलाएं अपना चेहरा ढकती थी। वही मुस्लिम महिलाएं बुर्के का इस्तेमाल करती थी। वास्तव में पर्दा प्रथा संभ्रांत परिवार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना जाता था। घूंघट प्रथा का प्रचलन हिंदू तथा मुस्लिम महिलाओं में था। विद्यापति और जायसी के अनुसार बंगाल और उत्तर प्रदेश में हिंदू स्त्रियों पर्दा प्रथा करती थी। फिरोजशाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने मुस्लिम स्त्रियों के लिए पर्दा करना अनिवार्य और पीरों की मजार पर जाना प्रतिबंधित कर दिया था। हिन्दू समाज मे पर्दा स्त्रियों की उच्च प्रतिष्ठा का द्योतक था और उनके सम्मान को सुरक्षित रखने का साधन भी। एस. एम. ज़ाफ़र महोदय ने हिन्दू स्त्रियों के लिये पर्दे का उपयोग धार्मिकता के कारण भी आवश्यक बताया है। चूंकि पर्दा समाज में कुलीनता का प्रतीक था था, इस प्रथा के पहले से होने की संभावना अधिक प्रबल होती है। मंगोलों के आक्रमण के कारण इस प्रथा को और बल मिला क्योंकि मंगोलों की नीयत से स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दा आवश्यक समझा गया।[2] निर्धन वर्ग की स्त्रियां सिर्फ बुर्के का प्रयोग करती थी जबकि उच्च वर्ग की स्त्रियां पालकी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। यह पालकी पूरी तरह से ढकी होती थी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यह न जान सके कि यह स्त्री किस कुलीन परिवार की है।

**जौहर प्रथा**: युद्ध में अपने पति की मृत्यु के पश्चात स्त्रियां सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से अग्नि में जलकर सतीत्व की रक्षा करती थी। ऐसा नहीं है कि यह प्रथा केवल राजपूतों में ही विद्यमान थी बल्कि कालांतर में इसका प्रभाव मुस्लिम स्त्रियों पर भी पड़ने लगा और वह भी जौहर को अपनाने लगी। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर कि मुसलमान स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर प्रथा को अपनाया था।[3] सल्तनत काल में जौहर के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रणथंबोर के राणा हमीर देव को अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपनी पराजय निकट दिखाई देने पर उसकी स्त्रियों ने जौहर अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम पलकें राज्य पर आक्रमण किया तो वहां के राजा बहाउद्दीन गुरशास्प को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद जौहर करवाने के उल्लेख मिलते हैं। इब्नबतूता बताता है कि स्त्रियों ने स्नान के बाद अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया तथा अग्नि में भस्म हो गई। इसके पश्चात राजा और सैनिक आक्रमण में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। सर्वप्रथम जौहर प्रथा राजस्थान में प्रचलित थी। जो कि राजपूत अत्यंत स्वाभिमानी होते थे। अपनी महल की स्त्रियों को को सुल्तान से रक्षा करने के लिए जोहर का आदेश देते थे। जब राजपूतों को इस बात का पता चल जाता था कि वह युद्ध में पराजित हो जाएंगे तो वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। जौहर प्रथा अधिकांश उच्च कुल की महिलाएं करती थी क्योंकि राजाओं के पराजित होने पर उनको अपने सम्मान को क्षति पहुंचने का भय रहता था।

**सती प्रथा**: जब कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत। उसके शव के साथ जीवित ही चिता में जल कर अपने प्राणों को त्याग देती थी तो इस प्रथा को सती के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्यईसवी में एरण अभिलेख 510 से मिलता है।[4] यह प्रथा हिंदू समाज में प्राचीन काल से प्रचलित थी। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उसके जीवन का अर्थ ही निर्मूल समझा जाता था। सती प्रथा उच्च वर्ग के हिंदुओं एवं मुख्यत: राजपूतों में प्रचलित थी। स्त्री दो प्रकार से सती हो सकती थी। प्रथम सहमरण अथवा सहगमन से अर्थात जिस पत्नी को पति का मृत शरीर मिल जाता था वह उसी ,की चिता के साथ जल जाती थी। दूसरा था अनुमरण अर्थात अपने पति की किसी वस्तु के साथ जलना। इसमें अन्य रानियां भी सती होती थी, जो स्त्री सती नहीं होती थी उन्हें समाज में निंदनीय समझा जाता था। क्योंकि यह प्रथा पहले से चली आ

रही थी, इसीलिए मुस्लिम शासकों ने भी इसे समाप्त करने का प्रयास नहीं किया वरना उन्हें संपूर्ण हिंदू समाज के विरोध का सामना करना पड़ता जो उनके नवीन एवं अल्पवयस्क के शासन के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता था।[5]

इब्नबतूता अपनी पुस्तक रेहला में एक महिला के सती होंने का उल्लेख इस प्रकार से करता है, 'अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर पत्नी ने सर्वप्रथम स्नान किया। इसके पश्चात वह अपने शरीर पर बहुमूल्य वस्तु एवं जवाहरात धारण करके सती होने के स्थान पर आ गई। ब्राह्मण तथा अन्य संबंधी भी उसके साथ थे जो एक छायादार वृक्ष के नीचे संगीत के साथ एकत्र थे। सती होने के स्थान पर पत्नी का एक तालाब था और वहीं पर एक पत्थर की प्रतिमा थी। छायादार वृक्षों की आड़ में सती ने स्नान किया तथा अपने बहुमूल्य वस्त्र एक एक करके अग्नि को–भेंट कर दिया। इसके पश्चात एक लंबी चादर उसके शरीर पर डाल दी गई और फिर अग्नि की प्रार्थना करके महिला उसमें प्रविष्ट हो गई। इसी समय वाद्य यंत्र बजने लगे। अन्य लोगों ने जलती स्त्री पर भारी लकड़ी रख दिया जिससे वह भाग ना सके। इब्नबतूता इस दृश्य को देख कर बेहोश हो गया। इस घटना का आगे का वर्णन इसी कारण हमें प्राप्त नहीं होता है।[6] मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा के संदर्भ में कानून बनाया। उसने सती होने से पहले राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया।

**विवाह:** सल्तनत कालीन भारतीय समाज में महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। जिसके कारण उन्हें। पुरुषों के समान स्थान प्राप्त नहीं था। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ के अनुसार एक मुसलमान को चार पत्नियां रखने की अनुमति थी। हालांकि केवल अमीर वर्ग के लोग ही एक से अधिक पत्नी रखते थे, आम व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था। अमीरों के हरम स्त्रियों से भरे रहते थे।[7] जब कभी महल में कोई रूपवती दासी आ जाती थी तो उन्हें अन्य रानियों की तुलना में अधिक महत्व मिलने लगता था उदाहरण स्वरूप रजिया सुल्तान की उपमाता शाह तुर्कान भी पहले एक दासी हुआ करती थीपरंतु बाद में अपनी सुंदरता के , कारण रानीजैसे पद तक पहुंच गयी।[8]

**बाल विवाह:** सल्तनत कालीन भारतीय समाज में विवाह करने की कोई उम्र तय नहीं थी। सुल्तान और अमीर वर्ग के लोगों के अत्याचारों के कारण हिंदुओं में बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया। कन्या की शादी लगभग वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। 13 हिंदू लोग कन्याओं का विवाह अपनी उप जातियों में करते थे बशर्ते उपजाति ऊंची हो। मुसलमानों में जाति का कोई मदद नहीं होता था। यह लोग सगे संबंधियों से भी विवाह कर लेते थे। खिज्र खां और देवल रानी का विवाह वर्ष की 8 और 10आयु में हुआ था।[9]

**विधवा विवाह:** हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन में विवाह का अत्यंत प्रमुख स्थान था, किंतु इनके लिए कोई आयु सीमा निश्चित नहीं थी। हालांकि दोनों ही समाज शीघ्र अतिशीघ्र इस संस्कार को संपन्न करने की चेष्टा में रहते थे। मुसलमानों में विधवा विवाह का प्रचलन था। हिंदुओं में इसे उचित नहीं माना जाता था। मुस्लिम समाज में विधवा को अपने पति की संपत्ति पर तब तक अधिकार रहता था जबतक मेहर की रकम अदा नहीं कर दी जाती थी।[10]

हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। अलबरूनी बताता है कि विधवा स्त्री के पास एकमात्र विकल्प होता था सती हो जाना।विधवा होने को पाप समझा जाता था। डेलाबेल के शब्दों में 'विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी तथा अपने पति की मृत्यु के बाद सिर के बाल कटवा कर एकांतवास करती थी।'[11]

इस समय बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी और यह प्रथा भी केवल राजाओं और अमीरों तक ही सीमित थी क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होते थे। बहुविवाह के संबंध में थॉमस ने लिखा है कि मुसलमान चार विवाह कर सकता था और तलाक भी दे सकता था पर भारत के लोग प्राय: एक ही किया करते थे। गरीब लोग आर्थिक स्थिति कमजोर और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण एक विवाह ही करते थे।

**शिक्षा:-** सल्तनत काल में वैदिक काल की तरह स्त्री शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया गया। हालाँकि शाही परिवारों की अनेक महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। इल्तुतमिश की पटरानी शाह तुर्कान को शासन संबंधी शिक्षा का अच्छा ज्ञान था। वह राजकीय घोषणा अर्थात फरमान भी जारी करती थी।[12] रजिया सुल्तान भी शिक्षित होने के साथसाथ अश्–वारोहण और शस्त्र संचालन का पूरा ज्ञान रखती थी। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा तेरह विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए थे।[13] सुल्तान के आदेश

पर स्त्रियों को विभिन्न कलाओं और गीत – संगीत इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। मिनहाज उस सिराज ने अलाउद्दीन के हरम की शाही मल्लिका की विशेष प्रशंसा की है तथा उसके हस्तलेख को राजकीय मोती की संज्ञा दी है

उच्च वर्ग की स्त्रियों को धर्म दर्शन तर्कशास्त्र साहित्य के अतिरिक्त संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी। इस काल में अवंती सुंदरी देवल रानीपद्मावती इत्यादि सुशिक्षित महिलाएं थी। जौनपुर की बेगम रजा बेगम का। मदरसा सल्तनत कालीन स्त्री , रूपम , शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था।

**वस्त्र एवं आभूषण**: - नारियों की यह प्रमुख विशेषता रही है कि उनकी अभिरुचि स्वयं को आभूषणों से सुसज्जित करने में रहती है। सल्तनत काल में हिन्दू स्त्रियों के आभूषणों के अंतर्गत कान में पहने जाने वाले आभूषण कर्णफूलचंपाकली व दोनों कानों ,पीपल पत्ती , में बाली इत्यादि थे। गले मेंसोने का बना लड़ियों का हार प्रमुख था। 7 या 5[14] कभी कभी ये हार मोती व कीमती पत्थरों के बने होते थे। महिलाएं हाथों में चूड़ियां और कमर में कमर बंद पहनती थी। मुस्लिम स्त्रियां भी प्राय: यही आभूषण धारण करती थी।

वस्त्र: सल्तनत कालीन समाज की स्त्रियों की पोशाक आज की तरह नहीं थी। वह सामान्यतया साड़ी तथा इसके साथ पहने जाने वाली अंगिया का प्रयोग करती थी। मुसलमान स्त्रियों में सलवार चूड़ीदार, कमीज व सिर ढकने के लिए चादर व दुपट्टे का प्रयोग किया जाता था। कहींकहीं घागरे के पहनावे का भी चलन था और मुसलमान औरतें बुर्के का– प्रयोग करती थी। रजिया एकमात्र सल्तनतकालीन महिला थी जिसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की भांति कोट और कूलाह पहनना प्रारंभ किया था।

महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल भी किया करती थी। उनमें सोलह सिंगार का प्रचलन था उच्च वर्गों की स्त्रियों में आंखों की सुंदरता के लिए काजल और सुरमे का प्रयोग किया जाता था।[15] मुस्लिम महिलाएं पांव तथा हाथों में मेहंदी लगाती थी। दांतों और होठों को रंगने के लिए तांबूल खाया करती थी जो कि एक पान होता था। उल्लेखनीय है कि सिर से पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग को सुसज्जित करना हिंदुओं की स्त्रियों की एक सामान्य परंपरा थी।

इस प्रकार सल्तनत काल में महिलाओं की दशा को समझा जा सकता है।

**सन्दर्भ–**

1. अशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, भारत का इतिहास, पृ.61 ।
2. राधेश्याम, मध्यकालीन भारतीय समाज, संस्कृति एवं प्रशासन, पृ.228 ।
3. के एस लाल, ट्विलाइट ऑफ द सल्तनेट, पृ.269 ।
4. राधेश्याम, मध्यकालीन भारतीय समाज, संस्कृति एवं प्रशासन, पृ.231 ।
5. उपरोक्त।
6. एस एल खरे, भारतीय इतिहास में नारी, पृ.69–70 ।
7. हरिश्चन्द्र वर्मा, मध्यकालीन भारत भाग 1, पृ.136 ।
8.एस एल नागौरी, कांता नागौरी, मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास, पृ.52 ।
9. आर के गुप्त, मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, पृ.71 ।
10. के एम अशरफ, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ दी पीपुल ऑफ दी हिंदुस्तान, पृ.146 ।
11. एस एल नागौरी, कांता नागौरी, मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास, पृ.52 ।
12. मिहनाज़ सिराज, तबकात ए नासिरी( अनुवादित), पृ.632 ।
13. रेहला, इब्नबतूता( अनु. ), पृ.179 ।
14. पुरी दास चोपड़ा, भाग 2, पृ.49 ।
15. पुरी दास चोपड़ा, भाग 2, पृ.49 ।